राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उत्तर प्रदेश
विशाल काम्प्लेक्स, 19 ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वा0 एवं प0क0,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मण्डल आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या : एन.आर.एच.एम./एस.पी.एम.यू./FW/70–4/2014–15/4702-18 दिनाँक 19.01.2015
विषय : परिवार नियोजन कार्यक्रम गतिविधियों की समीक्षा एवं सक्रिय क्रियान्वयन विषयक।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप अवगत है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर तथा सकल प्रजनन दर में कमी लाना है, जिसके तहत कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे है। परिवार नियोजन कार्यक्रम आर0सी0एच0 का महत्वपूर्ण अंग हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम के सक्रिय क्रियान्वयन के बिना प्रदेश में मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर को कम कर पाना संभव नहीं है।

जुलाई 2012 में आयोजित लंदन सम्मेलन में विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या पर चिन्ता व्यक्त की गई। इस सम्मेलन में, भारत द्वारा भी प्रतिभागिता की गई। सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार, एफ.पी. 2020 के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु, भारत के लिए 40 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारण किया गया है, जिसका 26 प्रतिशत उत्तर प्रदेश द्वारा प्राप्त किया जाना है। तद्नुसार, फैमली प्लानिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत एफ.पी. 2020 के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए उ0प्र0 हेतु अपेक्षित कार्यभार निम्नानुसार है–

- 124 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों को परिवार नियोजन की सेवायें उपलब्ध करवाना।
- 126 लाख वर्तमान लाभार्थियों को दी गई परिवार नियोजन सेवाओं की निरन्तरता बनाये रखना।
- फैमली प्लानिंग के अस्थाई एवं स्थाई साधनों से सम्बन्धित जानकारी एवं सेवाओं के बारे में जनमानस को जागरूक एवं प्रोत्साहित करना, तथा यह सुनिश्चित करना कि समुदाय की अपूरक मांग को कम किया जा सके।
- फैमली प्लानिंग कार्यक्रम हेतु एफ.पी. 2020 तक दिए गए लक्ष्य के दृष्टिगत, इस कार्यक्रम को आपके द्वारा सफल नेतृत्व प्रदान किया जाना अति आवश्यक है। आपसे अनुरोध है कि मासिक समीक्षा बैठक के समय निम्न गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने का कष्ट करें –
- **नसबंदी शिविरों का आयोजन** – जनपद स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्रों यथा – जिला महिला चिकित्सालय एवं जिला पुरूष चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालय तथा ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहां – महिला एवं पुरूष नसबंदी से सम्बन्धी सेवाप्रदाता की उपलब्धता है, वहां नियत दिवस पर नियमित रूप से महिला एवं पुरूष नसबंदी की सेवाएं प्रदान की जाए तथा वह सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जहां – सेवाप्रदाताओं की अनुपलब्धता है, वहां शिविरों का आयोजन कर नसबंदी की सेवाएं प्रदान की जानी सुनिश्चित की जाएं।
- **एक्रेडिटेंशन ऑफ प्राईवेट हास्पिटल**– स्वास्थ्य सुविधाओं को सुगम एवं गुणवत्ता पूर्ण बनाने हेतु पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने हेतु प्राइवेट अस्पतालों/नर्सिंग होम को जनपद स्तर पर एक्रेडिटेड किया जाए जिससे परिवार नियोजन सेवाओं तक जनमानस की पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
- **ई0सी0आर0 रजिस्टर** – लक्ष्य दम्पत्ति रजिस्टर (ई0सी0आर0) में ए0एन0एम0 द्वारा अपने क्षेत्र के लक्ष्य दम्पत्तियों का रिकार्ड नियमित रूप से संकलित किया जाता है। इसके लिए जनपदों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रति वित्तीय वर्ष अप्रैल – जून के मध्य ए0एन0एम0 द्वारा अपने क्षेत्र में सर्वे कर ई0सी0आर0 रजिस्टर अद्यतन किया जाए।

- **गर्भनिरोधक साधनों का आशा के माध्यम से घर–घर विपरण** – इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आशाओं द्वारा विलेज हेल्थ इंडेक्स रजिस्टर (वी0एच0आई0आर0) को अद्यतन कर अपने क्षेत्र में गर्भनिरोधक साधनों की अपूरक मांग का आंकलन कर गर्भनिरोधक सामग्री की अपूरक मांग को पूरा किए जाने हेतु आशाओं द्वारा गर्भनिरोधक – सामग्रियों (कण्डोम, ओरल गर्भनिरोधक पिल, आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली, प्रेगनेंसी टेस्ट किट) का वितरण घर–घर विपरण किया जाना है। (गर्भनिरोधक विपरण की दर– कण्डोम एवं ओरल पिल्स हेतु रू0 1.00/प्रति पैकेट /साईकिल एवं रू0 2.00/आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली/पैकेट) यह भारत सरकार द्वारा मासिक समीक्षा की जाने वाली गतिविधि है, अतः जनपद स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा की जानी है।
- **प्रसव पश्चात आई0यू0सी0डी0 निवेश** – प्रसव पश्चात आई0यू0सी0डी0 जनपदों के जिला महिला चिकित्सालयों एवं प्रथम संदर्भन इकाईयों पर प्रसव पश्चात 48 घण्टे के अंदर आई0यू0सी0डी0 निवेशन हेतु चिकित्सक एवं स्टॉफ नर्सों को जपाईगो संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जिन जनपदों के महिला चिकित्सालयों में पी.पी.आई.यू.सी.डी. का प्रशिक्षण दिया जा चुका है, वहां पी.पी.आई.यू. सी.डी. निवेश की मासिक समीक्षा सुनिश्चित की जाए। प्रशिक्षित अधिकारी द्वारा नियमित सेवाएं प्रदान कर, सेवा प्रदातावार रिपोर्ट भी प्रेषित की जानी सुनिश्चित करें। पी0पी0 आई0यू0सी0डी0 सेवा हेतु सेवा प्रदाता एवं प्रेरक को प्रति ईसर्शन प्रोत्साहन राशि के रूप में रू0 150.00 प्रदान किए जाते है।
- **क्वालिटी एश्योरेन्स कमेटी** – परिवार नियोजन कार्यक्रम की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु जनपद स्तर पर क्वालिटी एश्योरेन्स कमेटी का गठन किया गया है। इस समिति का प्रत्येक तिमाही में 01 बैठक किया जाना अनिवार्य है, तथा बैठक का कार्यवृत्त तैयार राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस समिति द्वारा फैमली प्लानिंग इंडेमिनिटी योजना के क्रियान्वयन हेतु एक उपसमिति का गठन किया जाना अनिवार्य है, जिसके द्वारा योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरणों (मृत्यु, विफलता एवं जटिलता केस) का निस्तारण कर राज्य स्तरीय फैमली प्लानिंग इंडेमिनिटी उपसमिति को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्तानुसार, एफ.पी. 2020 के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु परिवार नियोजन गतिविधियों को गति प्रदान किये जाने हेतु कार्यक्रम की गहन समीक्षा नितांत आवश्यकता है। समीक्षा हेतु परिवार नियोजन कार्यक्रम की गतिविधियों से सम्बन्धित प्रमुख परिलब्धिता सूचकांक पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे है। आपसे अपेक्षा है कि प्रदत्त सूचकांकों के आधार पर कार्यक्रम की समीक्षा कर गतिविधियों को त्वरित्ता प्रदान करेंगे।

आशा ही नहीं, अपितु विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में जनपदों में इस कार्यक्रम में गति आएगी एवं परिवार नियोजन कार्यक्रम की विभिन्न सेवाओं का उचित लाभ जनमानस को मिलेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव

पत्र संख्या एन.आर.एच.एम./एस.पी.एम.यू./FW/70–4/2014–15 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, प0क0, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वा0 एवं प0क0, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर, प्रदेश।

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक